"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 202] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 18 मई 2017 — वैशाख 28, शक 1939

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 17 मई 2017

अधिसूचना

क्रमांक 5497/वि. स./स्था./2017. — सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्रमांक 22, सन् 2005) की धारा -28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

नियम

(1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "छत्तीसगढ़ विधान सभा सूचना का अधिकार (आवेदन प्रस्तुति) नियम, 2017" है.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे.

(2) परिभाषाएं :- इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्रमांक 22, सन् 2005)

(ख) "धारा" से अभिप्रेत अधिनियम की धाराएँ, अन्य समस्त शब्द एवं अभिव्यक्तियां जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं.

किन्तु परिभाषित नहीं है, उनके वही अर्थ होंगे जो उनके लिये अधिनियम में समनुदेशित किये गये हैं.

(3)	अनुरोध केवल एक विषयवस्तु से संबंधित हो :-	सूचना के लिये अधिनियम की धारा (6) के अंतर्गत अनुरोध लिखित में एक विषयवस्तु से संबंधित रहेगा एवं वह सामान्यत: एक सौ पचास शब्दों से अधिक नहीं होगा. यदि कोई आवेदक एक से अधिक विषयवस्तु की सूचना चाहता है, तो वह इनके लिये अलग-अलग आवेदन करेगा. परन्तु अनुरोध एक से अधिक विषयवस्तु से संबंधित होने की स्थिति में जन सूचना अधिकारी केवल प्रथम विषयवस्तु के संबंध में उत्तर देगा तथा अन्य प्रत्येक विषयवस्तु के लिए आवेदक को अलग-अलग आवेदन करने हेतु सलाह दे सकेगा.

अध्यक्ष के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.